

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ (छ.ग.)

☎ 07762-224426 (O), 07762-222178 (R), 07762-226047 (F) E-mail: dfo-raigarh.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./

3771

/2017/रायगढ़, दिनांक - 03/06/2017

प्रति,

मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग
राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र
रायपुर (छ.ग.)

विषय :-

Diversion of 15.463 ha. of forest land in favour of Public Works Department (PWD), Raipur for upgradation and Widening of NH 200 (New NH 49) from Raigarh-Urdawal (Orisha Border) in Raigarh, Bilaspur and Janjgir-Champa Forest Divisions in Raigarh, Bilaspur and Janjgir Districts in the State of Chhattisgarh - Regarding.
पंजीयन क्रमांक/FP/CG/ROAD/16728/2015

संदर्भ:-

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/तक.अधि./3418 दिनांक 11.05.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। प्रकरण में अधिरोपित शर्त क्रमांक क्रमांक xxiv के पालन में वन्य प्राणी संरक्षण योजना के अनुमोदन के प्रत्याशा में राशि रुपये 72.00 लाख (रु. बहत्तर लाख) जमा करने हेतु आपको लेख किया गया है। आपके द्वारा प्रस्तुत की गई वन्य प्राणी संरक्षण योजना में आवश्यकतानुसार सुधार किया जाकर राशि रु. 155.43 लाख का तैयार किया गया है।

अतः पुनरीक्षित वन्य प्राणी संरक्षण योजना के अनुमोदन के प्रत्याशा में राशि रुपये 72.00 के स्थान पर राशि रु. 155.43 लाख (एक करोड़ पचपन लाख तिरालिस हजार) एवं शर्त क्रमांक-xxvi के पालन में पक्षी संवर्धन योजना राशि रु. 10.30 (रुपये दस लाख तीस हजार) मात्र कैम्पा कार्पोरेशन बैंक में ई-पेमेंट के माध्यम से वेब पोर्टल पर चालान उत्पन्न कराकर जमा करें एवं जमा राशि की रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।

वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़

पृ. क्रमांक/तक.अधि./

3772

/2017/रायगढ़, दिनांक - 03/06/2017

प्रतिलिपि :-

वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर/जांजगीर-चांपा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
सीमांकन हेतु राशि जमा कराकर पालन प्रतिवेदन शीघ्र ही प्रेषित करें।

वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़